

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 171 | नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 5, 1970/अश्विन 13, 1892
No. 171 | NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 5, 1970/ASVINA 13, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 5th October 1970

SUBJECT.—*Export Policy for Iron and Steel other than cast iron pipes and fittings for the licensing period April, 1970—March, 1971.*

No. 7/ETC(PN)/70.—It has been decided that the export policy for Iron and Steel other than cast iron pipes and fittings for the licensing period April 1970—March 1971 will be as in the enclosed statement (Annexure I).

ANNEXURE

Export Policy in respect of S. No. 9(ii)-Part 'B' of Schedule I to the Export (Control) Order 1968 i. e. Iron and Steel other than Cast Iron pipes and fittings.

S. No. as in Part B to the Exports (Control) Order 1968	Name of the Commodity as in part B of Schedule I	Licensing period April '70—March '71	Licensing policy	Remarks
9.	Metals, the following (ii) Iron and Steel other than Cast iron pipes and fittings:—		Export of fabricated items of steel is not controlled and as such no licence is required for their export.	
(a)	1. Slabs 2. Blooms 3. Plates 4. Tinplates 5. Chequered plates 6. Skelp 7. GC/GP Sheets 8. CR sheets and coils 9. HR sheets and coils 10. Wheels and Tyres 11. Axles 12. Sleeper (Pressed) 13. High Tensile Wire 14. MS Wire 15. GI Wire 16. Wire rods other than mild steel wire-rods 17. Pig Iron (Foundry Grade)		Not allowed	
(b)	1. Pig Iron (Basic Grade) 2. Ingots 3. Billets 4. Heavy and Medium Structural (rolled by main producers) 5. Rails 6. Mild Steel Bars and rods including wire rods, cold twisted bars and light structurals (rolled by re-rollers) 7. All other items and quantities		Export licences will be issued to main producers only. Export licences will be issued to (a) main producers, (b) re-rollers and (c) Export Houses, on the basis of quota slips issued by the CCI & E upto 50% of the performance of exports individually in 1968-69 by quantitative assessment in the case of main producers, and 45% in the case of re-rollers and Export Houses.	On merits

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 1970

विषय : लाइसेंस अर्वाधि अप्रैल, 1970-मार्च, 1971 में ढले लोहे के पाइपों तथा जुड़नारों से इतर लोहे तथा इस्पात के लिए निर्यात नीति :

सं० 7/ई० टी० सी० (पी०एन०)/70 — यह किनिश्चय किया गया है कि लाइसेंस अर्वाधि अप्रैल, 1970, मार्च, 1971 में ढले लोहे के पाइपों तथा जुड़नारों से इतर लोहे तथा इस्पात के लिये निर्यात नीति संलग्न विवरण (अनुबन्ध 1) के अनुसार होगी ।

अनुबन्ध

निर्यात (नियन्त्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1 के भाग 'ख' के क्रमांक 9 (2) अर्थात् ढले लोहे के पाइप तथा जुड़नारों से इतर लोहे तथा इस्पात के सम्बन्ध में निर्यात नीति ।

निर्यात (नियन्त्रण) आदेश	अनुसूची 1 के	लाइसेंस	लाइसेंस	टिप्पणी
1968 की अनुसूची 1 के	भाग 'ख' में	अर्वाधि अप्रैल,	नीति	
भाग 'ख' में दिया गया	दी गई वस्तु	70, मार्च,		
क्रमांक	का नाम ।	71		

9. निम्नोक्त धातुएं
(2) ढले लोहे के पाइप
तथा जुड़नारों से इतर
लोहा तथा इस्पात :

इस्पात की संरचित
मर्दों के निर्यात पर
कोई नियन्त्रण नहीं है,
और इस लिए उनके
निर्यात के लिए कोई
लाइसेंस अपेक्षित नहीं
है ।

1	2	3	4	5
(क)	1. स्लेब 2. ढले लोहे के छड़ (ब्लूम) 3. प्लेट 4. टिन प्लेट 5. चिकई प्लेट 6. स्केल्प 7. जी सी / जी पी चादरें 8. सी आर चादरें तथा कायल्स 9. एच आर चादरें तथा कायल्स 10. पहिये तथा टायर 11. एक्सिल 12. स्लीपर (बने हुए) 13. हार्ड टेसाइल तार 14. एम एस तार 15. जी आई वायर 16. तार शलाकाएं, नर्म इस्पात तार शलाकाओं को छोड़कर 17. कच्चा लोहा (फाउन्ड्री ग्रेड)			अनुमति नहीं दी जाती ।
(ख)	1. कच्चा लोहा (बेसिक ग्रेड) 2. पिण्ड 3. बिलेट 4. भारी तथा मध्यम संरचनाएं (प्रमुख उत्पादकों द्वारा बेलित) 5. रेल-पटरियां 6. नर्म इस्पात के दण्ड तथा शलाकाएं जिनमें तार शलाकाएं, शीतित बटे दण्ड तथा शलाकाएं, विकृत दण्ड और हल्की संरचनाएं (रि-रोलर्स द्वारा बेलित)			केवल मुख्य उत्पादकों को ही निर्यात लाइसेंस जारी किये जायेंगे ।
	7. अन्य सभी मदें तथा मात्राएं ।			निर्यात लाइसेंस निम्नलिखित को दिये जायेंगे (क) मुख्य उत्पादक, (ख) पुनः बेचने वाले (ग) निर्यात सदन, जो मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी की गई कोटा स्लिप्स के आधार पर परिमाणात्मक मूल्यांकन करके मुख्य उत्पादकों को उनके निर्यात निष्पादन के 50 प्रतिशत तक तथा पुनः बेचने वालों और निर्यात सदनों के मामले में 45 प्रतिशत होंगे ।
				गुणावगुण के आधार पर ।

आर० जे० रबेलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात ।